

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक,  
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखण्ड, पिन-834002, Email : [pccf-ednoda@gov.in](mailto:pccf-ednoda@gov.in)

पत्रांक:- 321.....

दिनांक:- 23/3/2023

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सरायकेला।

विषय :-

मौजा—श्रीरामपुर, थाना नं०-48 एवं मौजा—शिखरडीह, थाना नं०-71 में स्थापित  
LPG Bottling Plant का विस्तारण हेतु 8.74 हे० (21.60 एकड़) वनभूमि अपयोजन  
प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :-

1. इस कार्यालय का पत्रांक 756, दिनांक 23.09.2020 एवं पत्रांक 1067 दिनांक 02.12.2020
2. वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर का पत्रांक 09 दिनांक 03.01.2023

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रांसगिक पत्रों का कृपया संदर्भ करे। विषयगत परियोजना हेतु वनभूमि  
अपयोजन प्रस्ताव संख्या FP/JH/IND/33374/2018 कुल 8.74 हे० पर राज्य सरकार के पत्रांक 4019  
दिनांक 16.10.2019 द्वारा पृच्छित 4 बिन्दुओं का निराकरण प्रतिवेदन की मांग की गई थी।


निराकरण प्रतिवेदन वन प्रमंडल पदाधिकारी, सरायकेला के पत्रांक 1774 दिनांक 09.10.  
2020 द्वारा समर्पित है, के अवलोकन से स्पष्ट है कि जियाडा के पत्रांक 1525 दिनांक 21.12.2019 द्वारा  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची को पत्र लिखा  
गया है कि :

- a. M/S H.P.C.L द्वारा 8.74 हे० (21.60 एकड़) अपयोजन हेतु समर्पित प्रस्ताव आयडा द्वारा पूर्व  
समर्पित 112.13 हे० (276.97 एकड़) के अपयोजन का हिस्सा है।
- b. M/S H.P.C.L द्वारा आवंटित 8.74 हे० (21.60 एकड़) भूमि के लिए अलग से अपयोजन प्रस्ताव  
समर्पित करने का कोई औचित्य नहीं है।
- c. M/S H.P.C.L द्वारा समर्पित प्रस्ताव विधि—सम्मत नहीं है। अतः इसे खारिज करते हुए उनके  
कार्यालय द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र संख्या—555/ए०आर० दिनांक 01.06.2019 को रद्द  
माना जाय।


वन प्रमंडल पदाधिकारी, सरायकेला के पत्रांक 1774 दिनांक 09.10.2020 एवं वन संरक्षक,  
प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर के पत्रांक 09 दिनांक 03.01.2023 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन पर आपका स्पष्ट  
मंतव्य अंकित नहीं है।

अतः समीक्षोपरांत बिन्दुवार प्रतिवेदन एवं अपना सुस्पष्ट मंतव्य इस कार्यालय को शीघ्र  
उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ताकि वस्तु—स्थिति से राज्य सरकार अवगत कराया जा सके।

विश्वासभाजन

 23.03.2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक  
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

  
23.3.23